संख्या–169 / एक–10–2022–33(79) / 2015 टीसी

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती एवं अम्बेड़करनगर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 07 फरवरी, 2022

विषयः–जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद–श्रावस्ती एवं अम्बेड़करनगर में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में तैनात आपदा विशेषज्ञों **को माह फरवरी, 2022 तक का मानदेय रू0 50,000/–प्रति माह दिये जाने** हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–**2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत रू0 **3,08,333/–(रू0 तीन लाख आठ हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन** नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
	2	3
1	श्रावस्ती	1,58,333.00
2	अम्बेड़करनगर	1,50,000.00
	योग	**3,08,333.00**
	(रू0 तीन लाख आठ हजार तीन सौ तैंतीस मात्र)	

(1) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 के नियम–209 तथा चैप्टर–1 के संलग्नक–ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–359–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत

धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2— **उक्त स्वीकृति रू0 3,08,333/—(रू0 तीन लाख आठ हजार तीन सौ तैंतीस मात्र)** की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021—22 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष—**2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—80—सामान्य—800—अन्य व्यय—07—जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या— 169 (1)/एक—10—2021—33(79)/15 टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार—(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2— प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3— मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
5— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6— सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7— विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई—बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
9— सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—5
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-11/02/2022

प्रेषण संख्या:- 169
आवंटन आदेश संख्या:- 197-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 250000	150000 250000
2	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	158333 258333	158333 258333
	योग	वर्तमान प्रगामी	308333 508333	308333 508333

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन लाख आठ हजार तीन सौ तैंतीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच लाख आठ हजार तीन सौ तैंतीस

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।